

‘राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की परम्परा केवल भाजपा में है’

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नरसिंहपुरा में आयोजित संगठन वर्ष में जनसभा को संबोधित किया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बगरू के नरसिंहपुरा में आयोजित भाजपा जयपुर देहात दक्षिण के संगठन वर्ष को संबोधित किया।

जयपुर, 29 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समर्पण भाव से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की परम्परा का निर्वाहन निरंतर रूप से जारी है और इसी दिशा में संगठन के चुनाव संपादित किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समर्पण भाव से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की परम्परा का निर्वाहन निरंतर रूप से जारी है और इसी दिशा में संगठन के चुनाव संपादित किए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों, महिलाओं व युवाओं के सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। किसानों को गेहूँ की एमएसपी में 125 रूपए अतिरिक्त व सम्मान निधि की 2000 रूपए की अतिरिक्त किश्त प्रदान की जा रही है। युवाओं को भी 60 हजार पदों पर नियुक्ति दी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों, महिलाओं व युवाओं के सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। किसानों को गेहूँ की एमएसपी में 125 रूपए अतिरिक्त व सम्मान निधि की 2000 रूपए की अतिरिक्त किश्त प्रदान की जा रही है। युवाओं को भी 60 हजार पदों पर नियुक्ति दी है।

‘मैडिकल पीजी दाखिले में डोमिसाइल रिजर्वेशन असंवैधानिक’
नयी दिल्ली, 29 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने स्नातकोत्तर (पीजी) मैडिकल में दाखिले के लिए निवास-आधारित आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए बुधवार को कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय, न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने कहा कि पीजी मैडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राज्य स्तरीय निवास-आधारित आरक्षण प्रदान करना संवैधानिक कानून के तहत अस्वीकार्य है।

पीठ ने कहा, पीजी मैडिकल पाठ्यक्रमों में निवास-आधारित सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

आरक्षण स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य स्तरीय आरक्षण को सीटों पूरी तरह से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में योग्यता के आधार पर भरी जानी चाहिए।

भांकरोटा फ्लाइओवर 31 मार्च तक पूरा होगा- एनएचएआई

जयपुर, 29 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर-अजमेर हाईवे पर भांकरोटा में बन रहे फ्लाइओवर से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से सर्विस रोड के अतिक्रमण को लेकर, तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

हाई कोर्ट ने कहा, हाईवे की सर्विस रोड पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

अदालत ने कहा कि हाईवे पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने मामले की सुनवाई 17 फरवरी तक टाल दी है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथूर की खंडपीठ ने ये आदेश रायचंद चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, अदालती आदेश की पालना में एनएचएआई (नेशनल हाईवेज अधीनस्थ ऑफ इंडिया) के प्रोजेक्ट निदेशक अजय आर्य और डीसीपी ट्रैफिक सागर अदालत में हाजिर हुए। एनएचएआई की ओर से अधिवक्ता संदीप पाठक ने अदालत को बताया कि वर्तमान में चार फ्लाइओवर का काम पूरा होकर उन पर खालीपन सुचारु रूप से चल रहा है। वहीं, भांकरोटा में बन रहे फ्लाइओवर का काम किया जा रहा है और उसे 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सीमा राज और कमलेश रोहन ने कहा कि हाईवे के दोनों ओर स्थित सर्विस लेन पर भी काफी अतिक्रमण है और इनके कारण भी ट्रैफिक जाम रहता

एक और चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के लिए जेल से रिहा हुए थे, इस दौरान हरियाणा में चुनाव प्रचार चल रहा था। गत वर्ष लोकसभा चुनावों से पहले गुरमीत राम रहीम को 51 दिनों के लिए पेरौल पर रिहा किया गया था। नवम्बर 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान के दौरान बाबा 21 दिनों के लिए पेरौल पर रहे।

जनवरी 2023 में हरियाणा पंचायत चुनावों के दौरान बाबा 70 दिनों तक पेरौल पर रहे। अक्टूबर 2022 में महत्वपूर्ण आदमपुर सीट के उपचुनाव के समय बाबा को 40 दिनों के लिए पेरौल पर रिहा किया गया। फरवरी 2022 में राम रहीम 21 दिनों के लिए पेरौल पर थे।

माना जाता है कि बाबा के भक्त हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं। हालांकि, कांग्रेस और भाजपा राम रहीम के संपर्क में रहे हैं, लेकिन पिछले वर्षों में, बाबा ने आमलौर पर भाजपा को समर्थन दिया है। सन् 2014 के हरियाणा चुनावों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉल पर, बाबा ने अपने समर्थकों से भाजपा को समर्थन देने के लिए कहा था।

कांग्रेस इतनी देर से सक्रिय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उसमें वृद्धि कर पाना मुश्किल है।
रोचक बात यह है कि अशोक गहलोत जैसे कई वरिष्ठ नेता प्रचार के लिये दिल्ली आये थे तथा उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों की घोषणाएं भी की थीं, लेकिन उसके बाद, वे नेतृगण भी नजर नहीं आ रहे। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने भी कांग्रेस की गारंटियों का मुद्दा नहीं उठाया।
केवल सचिन पायलट, दीपेन्द्र हूडा जैसे युवा नेता ही दिल्ली में प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं।
यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या प्रियंका गांधी इसलिए अपने ब्रान्ड को बचाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि वे जानती हैं कि कांग्रेस दिल्ली को जीतने की स्थिति में नहीं है? कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली चुनाव उतनी गंभीरता से नहीं लड़ा, जितनी गंभीरता से लड़ना चाहिये था और पूरा मैदान आम आदमी पार्टी और भाजपा के लिये खुला छोड़ दिया गया।

‘कुप्रबंधन व वीआईपी...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
समय है, कई महात्मान होने हैं। सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए ताकि ऐसे हादसे ना हों।
गांधी ने कहा, वीआईपी क्लव्हर पर लगाम लगाई जानी चाहिए तथा आम श्रद्धालुओं की जरूरत पूरी करने के लिए बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पीड़ित परिवारों की मदद करने की अपील की।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया और लिखा, “भगवान मरनेवालों की आत्मा को शांति दें। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति मैं गहन संवेदना व्यक्त करती हूँ।
उन्होंने वॉट्सएप चैनल पर दी अपनी पोस्ट में कहा कि कुंभ जाने वाले लोग लगातार अव्यवस्था की शिकायत कर रहे हैं, पर, उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है। प्रियंका

गांधी ने सरकार से अपील की कि एयर एम्बुलेंस से घायलों को इलाज के लिए बड़े अस्पताल भेजा जाए।
उन्होंने कहा, मृतकों की पहचान कर उनके शव उनके परिवार तक पहुंच जाए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्था की जाए। उन्होंने लोगों से धैर्य और शांति से स्नान करने की अपील की। श्रियंका ने लिखा, “मां गंगा सभी की रक्षा करें।” कांग्रेस के मीडिया के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले में भगदड़ में कई भक्तों की मौत की खबर बेहद दुखदायक है। जब भी इतनी भारी भीड़ होती है और आधे-अधुरे इंतजाम होते हैं तो ऐसे हादसे होने का खतरा बना रहता है। अभी कई महात्मान बचे हैं। आवश्यक सुरक्षा बल तैनात किए जाएं और प्रबंध की जिम्मेदारी योगी की बजाय किसी बेहतर प्रशासक को दी जाए तथा वीआईपी मूवमेंट पर रोक लगाई जाए।

‘सरकार बनी तो सफाई कर्मियों को पक्की नौकरी देंगे’

बड़ी-बड़ी घोषणाओं के साथ दिल्ली कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, महासचिव जयराम रमेश ने

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिये घोषणापत्र जारी किया और दिल्लीवासियों से वादा किया कि अगर वह सत्ता में आती है, तो जातिगत संरक्षण करवाकर गरीबों का उत्थान करने का काम करेगी और छह महीने के भीतर मजबूत लोकपाल विधेयक पारित करवायेगी।

सिंह की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया था। उन्होंने कहा कि गारंटी का मतलब यह है कि यदि सरकार उसे लागू नहीं करती है, तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

घोषणा पत्र में जयराम रमेश ने कहा, यह सिर्फ गारंटी नहीं, बल्कि जनता का हक है जो उन्हें दिया जाएगा।

गौरतलब है कि कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना, जिसके तहत हर गरीब परिवार को एक महिला को हर महीने 2500 रुपये देने, जीवन रक्षा योजना, जिसके तहत दिल्ली के सभी निवासियों को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, यूवा उड़ान योजना, जिसके तहत बेटे-बेटियां युवाओं को सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के संस्थानों में एक वर्ष की अंटी-सिंथिप देगे, इस दौरान उन्हें 8500 रूपए हर महीने मिलेंगे, महंगाई मुक्त योजना, जिसके तहत 500 रूपए में रसोई गैस सिलिंडर, हर महीने 02 किग्रा चीनी, एक किग्रा कुकिंग ऑयल, छह किग्रा दाल, 250 ग्राम चाय पत्ती समेत, एक मुफ्त राशन किट देने का वादा और मुफ्त बिजली

‘जो शरिया नहीं ...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा के.जी. विश्वनाथन की बेंच ने केन्द्र सरकार से कहा है कि वह चार सप्ताह में इस याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करे। इस मामले की अगली सुनवाई मई के पहले सप्ताह में होगी।
सुनवाई के दौरान, केन्द्र सरकार की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि याचिकाकर्ता के केवल एक पुत्री है और वह अपनी सम्पत्ति अपनी बेटे को देना चाहती है लेकिन शरीयत कानून उसे केवल 50 प्रतिशत सम्पत्ति देने की ही अनुमति देती है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे कई मुद्दों पर विचार होना चाहिये तथा उन्होंने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का भी जिक्र किया। उन्होंने 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी, उत्तराधिकार पर कुछ प्रतिबंधों का जिक्र किया, जो

किसी हिन्दू द्वारा अन्य कोई धर्म स्वीकार कर लेने की स्थिति में लागू होते हैं। उक्त महिला सफिया की याचिका में कहा गया है कि शरीयत कानून कहता है कि जो मुस्लिम, इस्लाम धर्म छोड़ देगा, उसे समुदाय से बाहर कर दिया जायेगा तथा इसके बाद, वह अपनी पैतृक सम्पत्ति में किसी प्रकार के उत्तराधिकार का हकदार नहीं होगा। याचिका में कहा गया है कि शरीयत कानून के अनुसार, कोई मुस्लिम, अपनी वसीयत के जरिये, अपनी सम्पत्ति के एक-तिहाई से ज्यादा भाग नहीं दे सकता है।

‘प्रदेश में अवैध ...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 17 दिसंबर को एक मामले की सुनवाई करते हुए, देश की सभी प्रदेश सरकारों को कहा था कि वे अवैध निर्माण रोकने के संबंध में स्थानीय प्राधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करें। वहीं, अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जाए। याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद, मास्टर प्लान और जेनरल प्लान के खिलाफ जाकर बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहे हैं, जिसके चलते लोगों का कॉलोनियों में रहना दूधर हो रहा है। याचिका में कहा गया कि राजधानी के कई इलाकों में जीरो सेटबैक पर निर्माण किया गया है। इस संबंध में याचिकाकर्ता संस्था की ओर से कई बार जेडीए और राज्य सरकार को निवेदन किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यदि कोई अधिकारी इस आदेश की पालना ना करे तो उसे अदालती आदेश की अवमानना माना जाए। ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जा चुके हैं कि 17 दिसंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करे। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार और जेडीए से जवाब तलब किया है।

‘तीन तलाक पर देशभर में कितने केस चल रहे हैं’

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से शपथ पत्र दायर कर बताने को कहा

नई दिल्ली, 29 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केन्द्र सरकार के मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत प्रतिबंधित तीन तलाक के जरिए तलाक के मामलों में मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ दर्ज मुकदमे और दाखिल आरोप पत्र को संख्या का आंकड़ा पेश करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने तीन तलाक को अपराध बनाने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, “अब सभी मुकदमे केंद्रीकृत हो गए हैं... अब हमें बताएं कि कितने मामलों में लिखित है। क्या अन्य उच्च न्यायालयों में कोई चुनौती लिखित है।”

हालांकि, मेहता ने कहा, “यह ऐसा है जैसे कह दिया जाए कि आपले ही पल से तुम मेरी पत्नी नहीं हो और एक इंसान हो जिसे एक आदमी की जिंदगी और घर से भी निकाल दिया गया है।” इस पर पीठ ने कहा, “हमें नहीं लगता कि घरेलू हिंसा अधिनियम इसके अंतर्गत आएगा।” पीठ ने संबंधित पक्षों से लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। पीठ ने मेहता से ग्रामीण इलाकों के आंकड़ों सहित दर्ज मुकदमों की संख्या की जांच करने और आंकड़े देने को कहा। पीठ ने कहा, “उन्हें (केन्द्र) आंकड़े दाखिल करने दें। हम वास्तविक स्थिति जान लेंगे कि क्या है।”

पाशा ने कहा कि किसी अन्य समुदाय में परित्याग कोई अपराध नहीं है। इस पर मेहता ने कहा कि अन्य समुदायों में तीन तलाक की प्रथा नहीं है। शमशाद ने दलील दी कि आपराधिक मामलों में (दिल्ली में भी) जब मारपीट आदि का गंभीर मामला होता है, तो वैवाहिक मामलों में महीनों तक मुकदमा हिंसा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आते हैं।

हरियाणा के सी.एम. ने दिल्ली में पिया यमुना का पानी

नई दिल्ली, 29 जनवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को दिल्ली के पल्ला गांव के पास स्थित यमुना नदी तट पर पहुंचे और यमुना का पानी पिया। अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल में ही आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी के पानी में जहर मिला दिया है। यमुना का पानी पीने के बाद नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मैं यहां यमुना नदी के तट पर आया हूँ और यमुना नदी का पानी पिया है। जल संसाधन प्राधिकरण ने यहां से पानी के नमूने लिए और पानी में कोई जहर नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि यमुना नदी को जहरीला कर दिया है। उन्होंने सामूहिक नरसंहार की बात कही थी। अरविंद केजरीवाल ने जीवन भर शूट बोला है और अब की वही शूट ही बोल रहे हैं।

महाकुंभ में बैरिकेड्स टूटने .. एस.ओ.जी. ने हाईकोर्ट एल.डी.सी. भर्ती परीक्षा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
आदित्यनाथ ने सभी पूज्य संतों, महामंडलेश्वरों से आग्रह किया था कि वे इन अमृत स्नानों के भागीदार बनें।
कृष्ण ने बताया कि अमृत स्नान पूर्व में आज कोई वीवीआईपी अथवा वीआईपी प्रोटोकाल नहीं था और आगामी अमृत स्नान पूर्व में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी।
पीएम मोदी ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही, मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूँ। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, कुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उसमें कई पुण्य आत्माओं को खोना पड़ा है। मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं सरकार से लगातार संपर्क में हूँ। मौनी अमावस्या की वजह से भीड़ है। कुछ देर

हादसे की जानकारी मिलने पर संतों के अखाड़ों ने अमृत स्नान स्थगित कर दिया, बाद में हालात सामान्य होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आग्रह पर अखाड़ों ने अमृत स्नान में भाग लिया।
हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया तथा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता कर हालात की जानकारी ली।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
19 मार्च 2023 को 12 बजे से 2 बजे के बीच हुई थी, जिसका आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में किया था। परीक्षा का परिणाम 11 जून 2023 को जारी किया गया था। यह परीक्षा 2800 से अधिक पदों के लिए आयोजित की गई थी। जिला जालौर, भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर, नागौर, बीकानेर, चुरू, सीकर और ब्यावर में पुलिस अधीक्षकों से संपर्क कर आरोपियों की दस्तयाबी के लिए टीमें गठित कर आरोपियों को दस्तयाब कर लिया गया है।



सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम निवासी रूखासर, विकेश पुत्र सोहनलाल निवासी बीकानेर, द्रौपदी विरेशोई निवासी बीकानेर, ओमप्रकाश पुत्र नाथलाल निवासी खजवाना नागौर, सहीत अन्व भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करवाने के मामले दर्ज हैं। पोखर कालेर द्वारा ई-ओ-आरओ व हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सालासर से ही पेपर पढ़ाया गया था। हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 में पोखर कालेर के संगठित गिरोह ने परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ब्लूटूथ डिवाइस से दिनेश निवासी रतनगढ, सुमन भूखर निवासी गंगानगर, राजेश पुत्र तेजाराम नि